

बि० क्र० नि० सु०, बिहार, पटना

भागल ५

दिनांक

एस.ओ.

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 16-2-16

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अन्तर्गत निम्न तथा मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों के लिए स्वअभिप्रमाणन की अनुमति देने की व्यवस्था निरूपित करने/अन्य पक्ष प्रमाण (Third Party Certification) की सुविधा अनुमान्य करने का परामर्श दिया गया है। परिप्रेक्ष्य में विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षण की व्यवस्था के पुनर्स्थापन/पुनर्विचारण के मध्यम तथा उच्च श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया

संलग्न परिशिष्ट-“क” के अनुसार सभी कारखानों के लिए 13 बिन्दुओं पर भारत अंक के आधार पर जोखिम का वर्गीकरण निम्न, मध्यम तथा उच्च श्रेणी में किया जायेगा।


इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कारखानों/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठानों को उच्च/निम्न/मध्यम जोखिम में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:-

(i) उच्च जोखिम के कारखानों /औद्योगिक स्थापना /दुकान /प्रतिष्ठान-

- (क) वैसे कारखाने जिनमें विगत कैलेण्डर वर्ष में सांघातिक दुर्घटना हुई हो।
- (ख) वैसे कारखाने/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जिनमें वेतन भुगतान, कम मजदूरी भुगतान या बाल श्रम नियोजन के लिए विगत कैलेण्डर वर्ष में अभियोजन दायर किया गया हो।
- (ग) वैसे कारखाने/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जहाँ 150 या अधिक कामगार नियोजित होते हों।
- (घ) वैसे कारखाने/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जिसमें 50% से अधिक कामगार टेका श्रमिक हो या 50% से अधिक महिला कर्मकार नियोजित होती हों।
- (ङ) वैसे कारखाने/औद्योगिक स्थापना/दुकान/प्रतिष्ठान जहाँ विगत कैलेण्डर वर्ष में हड़ताल या तालाबन्दी की घटना हुई हो।

(ii) निम्न जोखिम के कारखानों /औद्योगिक स्थापना /दुकान /प्रतिष्ठान-

- (क) वैसे कारखाने /औद्योगिक स्थापना/ दुकान/ प्रतिष्ठान जहाँ विगत पाँच कैलेण्डर वर्ष में कोई हड़ताल/ तालाबन्दी नहीं हुई हो।
- (ख) वैसे दुकान/ प्रतिष्ठान जिसमें 10 से कम कर्मचारी नियोजित हों।



A.P.R. 15-3-16
1
IT Manoj
1
250921
1613

22-2-16

- (ग) वैसे कारखानें / औद्योगिक स्थापना / दुकान / प्रतिष्ठान जिसके विरुद्ध विगत पाँच कैलेण्डर वर्ष में कोई अभियोजन दायर नहीं किया गया हो।
- (iii) वैसे प्रतिष्ठान जो उपर्युक्त कंडिका-(i) तथा (ii) से आच्छादित नहीं हैं, को मध्यम श्रेणी के जोखिम वाला कारखानें / औद्योगिक स्थापना / दुकान / प्रतिष्ठान माना जायेगा।
- (iv) वैसे कारखानें / औद्योगिक स्थापना / दुकान / प्रतिष्ठान जो सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक अपनी विहित वार्षिक विवरणी श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट पर अपलोड नहीं करेंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- (v) यदि परिशिष्ट-क के अनुसार वर्गीकरण एवं कंडिका 02 के अनुसार वर्गीकरण में भिन्नता हो तो दोनो में से उच्चतर जोखिम वाले वर्ग में संबंधित उद्योग / स्थापना को माना जायेगा।

(संख्या-1/एफ01-103/2016 श्र.सं.)

पटना, दिनांक-

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 1/एफ01-103/2016 श्र0सं0-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 1/एफ01-103/2016 श्र0सं0-

526

पटना, दिनांक

10-2-16

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / सभी प्रधान सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / महाधिवक्ता, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना / स्थानीक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग / सचिव, बिहार चैम्बर कॉमर्स, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अ.स. 10/2/16

सरकार के अवर सचिव।

परिशिष्ट- क

General Guideline for classification of Industries/Factories as Low/ Medium/High Risk Industries/Factories		
Sl. No.	Description of apprehension (s)	Score Scale
1	2	3
1	Total Man Power engaged per day & Total rated capacity (power) installed expressed in H.P.	
(a)	Workers (w) (i) Less than 20 workers (ii) Equal to or above 20 but less than 50 Workers (iii) Equal to or above 50 but less than 100 Workers (iv) Equal to or above 100 workers but less than 250 workers (v) Equal or above 250 workers	02 04 06 09 10
(b)	H.P (i) Up to 50 H.P (ii) Above 50 H.P but less than 500 H.P (iii) 500 H.P or above	02 06 08
2	Locations	
(a)	Population (i) Near 1 K.m radius of Municipal area (ii) Municipal area (iii) Municipal area +Public place (Hospital, station, school,market etc.) (vi) Others	03 04 06 02
(b)	Seismic Zone (i) Zone II (Least Active) (ii) Zone III (Moderate) (Ara, Buxar, Bhojpur, Jahanabad, Nawada, Gaya, Aurangabad, Rohtas, Kaimur, Arwal.) (iii) Zone IV (High) (Motihari, Bettiah, Sheohar, Gopalganj, Siwan, Saran, Muzaffarpur, Vaishali, Samastipur, Patna, Nalanda, Sheikhpura, Lakhisarai, Begusarai, Khagaria, Saharsa, Bhagalpur, Katihar, Purnia, Kishanganj, Banka, Jamui, Munger, Madhepura, Darbhanga. (iv) Zone V (Highest Risk) (Madhubani, Supaul, Araria, Sitamarhi, Darbhanga, Madhepura, Saharsa Kishanganj, Muzaffarpur, Sheohar, Purnia)	NA 03 04 05
(c)	Lightening/ Thundering Area	NA
(d)	Flood affected Area (i) Vulnerable-13 districts (West Champaran, Gopalganj, Siwan, Saran, Buxar, Bhojpur, Patna, Nalanda, Lakhisarai, Sheikhpura, Purnia, Araria, Kishanganj) (ii) Most Vulnerable- 15 districts (East Champaran, Sheohar, Sitamarhi, Katihar, Madhubani, Vaishali, Muzaffarpur, Darbhanga, Samastipur, Madhepura, Supaul, Saharsa, Khagaria, Begusarai, Bhagalpur.)	04 05

(e)	Near MAH Unit	05
3	MAH Unit	10*
4	Hazardous Operations (section-2 cb of Factories Act, 1948) and Ist schedule	08
5	Occupational Health Hazards (schedule-3 of Factories Act, 1948)	08
6	Dangerous Operations (Refer schedule to Bihar Factories Rules, 1950)	07
7	Chemical process (Refer schedule to Bihar Factories Rules, 1950)	07
8	Storing Chemicals (Please refer to control of Industrial Major Accident Hazardous Rules, 1950) (i) Below threshold quantity (ii) Equal to or above threshold quantity	07(Q<) 09(Q>)
9	Category of Factories under Central Pollution Control Board (i) Non Polluting (ii) Green (iii) Orange (iv) Red	02 04 06 08
10	Operation in shifts (i) General (ii) Shift	NA 05
11	Approach Road to the units (i) width less than 20 feet (ii) width Equal to or above 20 feet	06 NA
12	Fire Prone Factories(Please refer to Factories Rules 1950) (i) Class A (ii) Class B (iii)Class C (iv)Class D & E	03 04 06 08
13	Elevation of work place (i) Ground Floor (ii) On & above first floor or in basements (iii) on and above 4 floors. (40 feet from ground level)	NA 04 06

Note:-

- (1) Score Scale (1 to 10 Number)
- (2) Higher Score indicates high risk
- (3) Total Score is rms (root mean square) value of scores attributed from Serial no. 01 to 13
- (4) rms value of n Number (a, b, c,..... n) is given by

$$\{(a^2+b^2+c^2+\dots+n^2)/n\}^{1/2}$$
- (5) Total score \geq 4.5 (**High Risk**)
- (6) Total score <4.5 and > 2.5 (**Medium risk**)
- (7) Total score \leq 2.5 (**Low risk**)
- (8) Total rated capacity (Power) of the machineries and Plants installed and expressed in Horse Power.